**विवाह की अकृतता की डिक्री के लिए**

जिला न्यायालय ...............................

वाद सं................... सन .........................

**अबक**  ...............याची

बनाम

**कखग**  ..............प्रत्यर्थी

**विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 43) के लिए याचिका।**

याची निम्नलिखित रूप में प्रार्थना करता है -

1. याची प्रत्यर्थी का पति / पत्नी है। पक्षकारों के बीच विवाह तारीख ........................ को ................................. में विवाह कार्यालय द्वारा अधिनियम के अध्याय II/III के अधीन अनुष्ठापित किया गया। रजिस्ट्रीकृत किया गया। विवाह के प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि को इस याचिका के साथ उपाबद्ध किया जाता है।
2. विवाह के पूर्व तथा याचिका को दाखिल करने के समय पर विवाह के पक्षकारों का स्तर एवम् निवास स्थान निम्नलिखित रूप में है।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| पति | | |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान |  |  |
| पत्नी | | |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान |  |  |

1. (इस पैरा में, उनकी लिंग के साथ-साथ जन्म तिथियों या आयु विवाह के संतानों के नामों का विवरण दे यदि कोई हो)
2. (यहाँ उन आधारों में से एक या अधिक जिन पर अकृतता की एक डिक्री की इच्छा की जाती है। जिन तथ्यों पर अनुतोष के दावे को आधारित बनाया जाता है उनका नियमों के अनुपालन में और पृथक तौर पर वैसे कथन किया जाना चाहिए जैसे मामले की प्रकृति अनुज्ञा प्रदान करें।
3. किसी पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से विवाह के बारे में कोई पूर्व कार्यवाही नहीं हुई है।

या

पक्षकारों द्वारा या उसकी ओर से विवाह के बारे में निम्नलिखित पूर्व कार्यवाहियाँ हुई है।

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | पक्षकारों के नाम | अधिनियम की धारा के साथ कार्यवाही की प्रकृति | मामले की सं. एवं तारीख तथा वर्ष | न्यायालय का नाम एवं अवस्थित | परिणाम |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1. इस याचिका को दाखिल करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलम्ब नहीं हुई है।
2. याचिका प्रत्यर्थी के साथ दुरंभिसन्धि को नहीं प्रस्तुत की जाती है।
3. इसका कोई अन्य विधिक आधार नहीं है कि अनुतोष क्यों नहीं मंजूर किया जाना चाहिए।
4. विवाह ................................. में अनुष्ठापित किया गया। पक्षकारगण ........................... में निवास करते है। पक्षकारगण अंतिम रूप से ................................. में निवास करते थे।

या

जहाँ याचिका जम्मू एवम् काश्मीर राज्य के सिवाय भारत संघ राज्य क्षेत्रों में अधिवासित एक पत्नी द्वारा है : याची जम्मू एवम् काश्मीर राज्य के सिवाय भारत वर्ष के राज्य क्षेत्रों के अन्दर निवासी है और साधारण तथा याचिका की प्रस्तुति के ठीक पूर्व तीन वर्षों की एक कालावधि के लिए उसमें निवासी है और प्रत्यर्थी कथित राज्य क्षेत्रों में निवासी नहीं है।

1. याची निवेदन करता है कि इस माननीय न्यायालय के पास याचिका ग्रहण करने की अधिकारिता है।
2. अतएव याची, यह प्रार्थना करता है कि अधिनियम के बीच अनुष्ठापित किया गया विवाह अकृतता की एक डिक्री द्वारा न्यायालय द्वारा इस प्रकार अकृत एवम् शून्य घोषित कर दिया जाय।

याची

**सत्यापन**

ऊपर नामित किया गया वादी सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर वह कथन करता है कि याचिका की पैरा ................. पैरा याची की जानकारी में सत्य है और पैरा ................ लगायत ........................ उसके द्वारा प्राप्त की गयी और सत्य होना विश्वास की गयी याची की सूचना में सत्य है।

................. में इस तारीख ................. को सत्यापित किया गया।

स्थान: याची